न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 83/2018

1. श्रीमती ग्यारसी पत्नि स्व. श्री रामप्रसाद, उम्र बालिग, जाति रेगर
2. पुखराज पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद उम्र नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमति ग्यारसी पत्नि स्व. श्री रामप्रसाद, उम्र बालिग, जाति रेगर
3. कमलेश पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद उम्र नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमति ग्यारसी पत्नि स्व. श्री रामप्रसाद उम्र बालिग, जाति रेगर

   निवासी गण – केसरपुरा तहसील– बिजयनगर

--------प्रार्थीगण

ब ना म

1. सुवालाल पुत्र लादू उम्र बालिग जाति रेगर
2. पुरण पुत्र चन्द्रा उम्र बालिग जाति रेगर
3. मोहन पुत्र नारायण उम्र बालिग जाति रेगर
4. गोपाल पुत्र हरदेव उम्र बालिग जाति रेगर

   निवासीगण – केसरपुरा, तहसील– बिजयनगर
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, बिजयनगर तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

---अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 05.11.2020

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम केसरपुरा पटवार क्षेत्र खुंटिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुंटिया तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खसरा संख्या 86 रकबा 0–02–10 है0, 87 रकबा 4–17 है0, 273 रकबा 0–17–10 है0, 281 रकबा 3–15–10 है0, 282 रकबा 2–10–00 है0, भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उक्त आराजीयाज की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमियों की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमियों पर तहसीलदार महोदय बिजयनगर द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.01.14 16:11:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

................लगातार

श्रीमती ग्यारसी बनाम सुवालाल व अन्य
प्रकरण संख्या 83/2018

बाद अवलोकन पाया कि ग्राम केसरपुरा पटवार क्षेत्र खुंटिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुंटिया तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खसरा संख्या 86 रकबा 0–02–10 है0, 87 रकबा 4–17 है0, 273 रकबा 0–17–10 है0, 281 रकबा 3–15–10 है0, 282 रकबा 2–10 है0, भूमियां प्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम केसरपुरा पटवार क्षेत्र खुंटिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खुंटिया तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खसरा संख्या 86 रकबा 0–02–10 है0, 87 रकबा 4–17 है0, 273 रकबा 0–17–10 है0, 281 रकबा 3–15–10 है0, 282 रकबा 2–10–00 है0, भूमियां का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 05.11.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.01.14 16:11:39 IST
Reason: SelfAttested